



## कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

दूरभाष (कार्यालय) 07781-252216, 252911 (फैक्स) 252215 mail- [narayanpur.cg@gov.in](mailto:narayanpur.cg@gov.in)

विज्ञापन क्र./३८१ /स्थापना/वि.लि.एक/विशेष भर्ती/2023

नारायणपुर, दिनांक २३ मई २०२३

### // प्रेस विज्ञप्ति //

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एक ४-०४/२०२३/सात-२ नवा विभाग में तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड-०३, स्टेनोटायपिस्ट, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी अर्दली, चौकीदार, भूत्य एवं फराश डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर के पते में दिनांक १२ जून २०२३, सायं ०५:०० बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन कार्यालय में उपस्थित होकर भी जमा किये जा सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

विज्ञापन की विस्तृत विवरण जिले के वेबसाइट [www.narayanpur.gov.in](http://www.narayanpur.gov.in) में अपलोड एवं जिला कार्यालय नारायणपुर के सूचना पटल पर भी उपलब्ध है।

पृ० क्र./३९० /स्थापना/वि.लि.एक/विशेष भर्ती/2023  
प्रतिलिपि:-

कलेक्टर<sup>Q</sup>  
जिला नारायणपुर  
नारायणपुर, दिनांक २३ मई २०२३

- सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय, नारायणपुर, जिला नारायणपुर को स्थानीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० को जिले के वेबसाइट में अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर<sup>Q</sup>  
जिला नारायणपुर



## कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

दूरभाष (कार्यालय) 07781-252216, 252911 (फैक्स) 252215 mail- narayanpur.cg@gov.in

// रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन //

विज्ञापन क्र./३१/स्थापना/वि.लि.एक/विशेष भर्ती/2023

नारायणपुर, दिनांक 23 मई 2023

—00—

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र कमांक एक 4-04/2023/सात-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर के राजस्व विभाग में तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड-03, स्टेनोटायपिस्ट, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी अर्दली, चौकीदार, भूत्य एवं फराश के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती हेतु आवेदन दिनांक 12 जून 2023, सायं 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोर्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन कार्यालय में उपस्थित होकर भी जमा किये जा सकेंगे। पदों का विवरण नीचे तालिका में दर्शित है:-

क्र.	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में महिलाओं हेतु आरक्षित पद				अजगा वर्ग के कुल रिक्तियों में से विशेष पिछड़ी जनजाति समूह हेतु आरक्षित पद	भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद	कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों हेतु आरक्षित पद	योग	वेतनमान
		क्र. सं.	अजगा	उजा	पुरुष	अना.	अजगा	उजा	पुरुष					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सहायक ग्रेड-03	02	07	01	02	0	02	0	0	01	0	0	0	12
2	स्टेनोटायपिस्ट	01	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
3	वाहन चालक	0	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04
4	अर्दली	0	02	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	03
5	चौकीदार	0	02	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	03
6	भूत्य	01	05	0	0	0	01	0	0	01	0	0	0	03
7	फराश	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06
योग:-		04	23	01	04	0	03	0	0	02	01	0	0	32

टीप :- रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है।

### **सहायक ग्रेड-03 पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:-**

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा गति होना/घाहिये।
4. मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।

### **स्टेनोटायपिस्ट पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:-**

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
2. हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
4. मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।

### **वाहन चालक पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता:-**

1. मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।
2. हल्के वाहन चलाने का द्वायविंग लायसेंस।
3. शासकीय संस्था/कार्यालय अथवा शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में वाहन चलाने का न्यूनतम एक पूर्ण वर्ष का अनुभव।

### **चतुर्थ श्रेणी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता:-**

(अर्दली, चौकीदार, भूत्य एवं फरशा)

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :- मान्यत प्राप्त संस्था/बोर्ड से कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण।

#### **1. नियम एवं शर्तेः—**

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. यह विज्ञापन विभागीय भर्ती नियमों के अध्यधीन होगी।
3. उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा उक्त संबंध में पारित आदेशों के अध्यधीन होगी।
4. **स्थानीय निवासीः—** छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र आवेदन के दौरान प्रस्तुत करना होगा।
5. **परिवीक्षा अवधि:-** चयनित अभ्यर्थीयों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

(क) चयनित अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में 030गोशासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार निम्नुनसार स्टायपेण्ड देय होगा।

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगा।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

- 6. आवश्यक दस्तावेज़:-** अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, प्रमाण पत्र, अंकसूची, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र (स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) निवास प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा। वाहन चालक पद हेतु हल्के वाहन चलाने का ड्रायविंग लायसेंस एवं शासकीय संस्था/कार्यालय अथवा शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में वाहन चलाने का चलाने का न्यूनतम 01 पूर्ण वर्ष का अनुभव अनिवार्य है केवल कार्बालय/विभाग प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। समस्त दस्तावेज की स्व-प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ एवं मूल दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार आयु सत्यापन हेतु शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र/अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य है।
- 7. आयु सीमा:-** दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिये। ७०ग०शासन, समान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ ३-२/२०१५/१-३ अटल नगर, रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयुसीमा (35 वर्ष) में 05 की छूट देय होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दिव्यांगजन उम्मीदवार को 3 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी परन्तु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगा।
- उच्चतर आयु सीमा में ७०ग०शासन, समान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी। यदि उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है, तो संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- 8. आरक्षित वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.)** के सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
- 9.** एक से अधिक रिक्त पदों के भर्ता के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- 10.** अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकाएं।
- 11.** किसी विवाहित महिला उम्मीदवारों द्वारा अपने नाम/उपनाम में परिवर्तन किया गया हो, तो परिवर्तन संबंधी दस्तावेज/शपथ पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा।
- 12.** अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।
- 13.** अपूर्ण अस्पष्ट तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के संबंध में पृथक से कोई सूचना जारी नहीं की जावेगी एवं ऐसे समस्त आवेदन अमान्य कर दिये जावेंगे।
- 14.** लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम एवं आवेदक का वर्ग एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।
- 15.** प्राप्त आवेदनों में से पात्र एवं आपात्र पाये गये आवेदकों की सूची (अनुपयुक्तता का कारण दर्शाते हुए) जिले के वेबसाईट [www.narayanpur.gov.in](http://www.narayanpur.gov.in) में अपलोड किया जायेगा। आवेदकों की प्रवेश पत्र वेबसाईट पर अपलोड किये जाने की सूचना तथा कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना उम्मीदवारों को स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति के माध्यम से दी जावेगी। आवेदक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे- आधार कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों सहित कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप से कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।
- 16.** यह विज्ञाप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

## **17. चयन प्रक्रिया:-**

### **(I) सहायक ग्रेड-03**

12वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों के 05 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। कौशल परीक्षा कुल 75 अंक की होगी। जिसमें M.S. Word-25 अंक, M.S.Excel-25 अंक, M.S.Power Point-25 अंक होंगे। हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग के संबंध में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा गति निर्धारण हेतु ली गई परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा गति नहीं होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी। अंतिम चयन केवल कौशल परीक्षा में प्राप्तांक तथा कम्प्यूटर टायपिंग में सफल होने के आधार पर किया जायेगा।

### **(II) स्टेनोटायपिस्ट**

12वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों के 05 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। कौशल परीक्षा कुल 75 अंक की होगी। जिसमें M.S. Word-25 अंक, M.S.Excel-25 अंक, M.S.Power Point-25 अंक होंगे। हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति तथा हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति के संबंध में निर्धारण हेतु ली गई परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। दोनों में अर्हता की गति प्राप्त नहीं होने पर चयन नहीं किया जावेगा। अंतिम चयन केवल कौशल परीक्षा में प्राप्तांक एवं कम्प्यूटर टायपिंग तथा शीघ्रलेखन में सफल होने के आधार पर किया जायेगा।

### **(III) वाहन चालक**

08वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को बहुवैकल्पिक परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। शासकीय संस्था/कार्यालय अथवा शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में वाहन चलाने का न्यूनतम 01 पूर्ण वर्ष का अनुभव अनिवार्य है तथा अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय/विभाग प्रमुख द्वारा जारी मान्य होगा। प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिये 04 अंक दिये जायेंगे। अनुभव के लिये अधिकतम 20 अंक दिये जायेंगे। अंतिम चयन अनुभव के अंक तथा ड्रायविंग से संबंधित बहुवैकल्पिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर किया जायेगा। न्यूनतम 01 पूर्ण वर्ष का अनुभव नहीं रहने पर परीक्षा हेतु आमंत्रित नहीं किया जावेगा। अनुभव के परीक्षण हेतु एक सामान्य कौशल परीक्षा ली जायेगी। इस परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जायेंगे किन्तु इस परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा।

### **(IV) चतुर्थ श्रेणी—अर्दली, चौकीदार, भूत्य एवं फर्रश**

05वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। अभ्यर्थियों के परीक्षाफल में ग्रेडिंग सिस्टम पाये जाने पर 01:10 के अनुपात में बदलाव किया जा सकेगा। इस स्थिति में किसी भी एक ग्रेड के तथा उस ग्रेड के समकक्ष प्राप्तांकों वाले सभी उम्मीदवारों को परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। जिसमें 100 अंक के बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। बहुवैकल्पिक परीक्षा में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान तथा सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जायेंगे। अंतिम चयन केवल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार किया जावेगा।

18. विज्ञापन/आवेदन का प्रारूप कार्यालय कलेक्टर के सूचना फलक पर एवं नारायणपुर जिले के वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।
19. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लेवें विज्ञापन में दिये गये निर्देशों/नियमों, शर्तों को पूरा करने पर ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। आवेदक सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करें, आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिये नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होगा।
20. दस्तावेजों की कमी को प्रथम दावा-आपत्ति के अंतिम तिथि तक पूरा किया जा सकेगा।

21. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उप्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
22. लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के ब्याय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
23. शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता की अंकसूची/प्रमाण पत्र (निवास/जाति) एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।
24. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र नियुक्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
25. आवेदित किये गये विवरण को पूरी तरह से जांच कर लेंवे। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
26. अनर्हता:- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-
  - (I) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पति जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
 

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
  - (II) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।
  - (III) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
  - (IV) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
27. आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हे परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता हैं या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निररत किया जा सकेगा।
28. प्रतीक्षा सूची:- प्रतीक्षा सूची घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध होगी।
29. अभ्यर्थी के चयन उपरांत यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
30. विज्ञापित पदों पर भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन व विविध प्रवर्गों – अनुसूचित जाति, अनुसूचित निर्धारित व जारी किए गए आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट संबंधी निर्देशों, नियमों व शर्तों का पालन किया जाएगा।
31. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

 कलेक्टर  
जिला नारायणपुर

पृ० क्र./ ३७२ /स्थापना/वि.लि.एक/विशेष भर्ती/2023  
प्रतिलिपि :-

नारायणपुर, दिनांक 23 मई 2023

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक छ.ग. शासन जनसम्पर्क विभाग नवा रायपुर अटल नगर को विज्ञापन प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
4. संचालक, संचालनालय, सैनिक कल्याण, ४००४० रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
7. सर्व कार्यालय प्रमुख को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
8. प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जिला कार्यालय नारायणपुर को सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, नारायणपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया जिले के वेबसाइट में विज्ञापन अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
10. सर्व कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) नारायणपुर, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
11. सर्व कार्यालय तहसीलदार नारायणपुर/ओरछा/छोटेडोंगर/कोहकामेटा, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
12. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, नारायणपुर की ओर समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
13. जिला रोजगार कार्यालय, जिला नारायणपुर को सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
14. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नारायणपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. सर्व कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर/ओरछा, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
16. जिला सैनिक कल्याण बोर्ड जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
17. कार्यालय प्रति।

कलेक्टर  
जिला नारायणपुर

— सहायक ग्रेड-03 / स्टेनोटायपिस्ट / वाहन चालक / अर्दली / चौकीदार / भूत्य / फर्माशः—  
आवेदन का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर  
जिला —नारायणपुर (छोगो)

अभ्यर्थी स्व  
सत्यापित फोटो  
चर्चा करें।

1. आवेदित पद का नाम :— .....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :— .....
3. आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के केपीटल लेटर में) :— .....
4. पिता / पति का पूरा नाम :— .....
5. माता का नाम :— .....
6. जन्मतिथि (अंको में)  
जन्मतिथि (शब्दों में) :— .....
7. 01.01.2023 को आयु(5वीं/ 10वीं का मार्कशीट संलग्न करें) :— वर्ष.....माह.....दिन.....
8. लिंग(महिला / पुरुष / तृतीय लिंग) :— .....
9. आवेदक की जाति (कृपया जाति अंकित करें)  
जाति प्रवर्ग अना./ अ.ज.जा./ अ.जा./ अपिव  
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें) :— .....
10. आयु सीमा में छूट चाहते हैं हाँ/ नहीं :— .....
11. यदि छूट चाहते हैं तो छूट का आधार  
(प्रमाण पत्र संलग्न करें) :— .....
12. छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी/ मूल निवास है हाँ/ नहीं:—  
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें) :— .....
13. क्या आप दिव्यांग श्रेणी के हैं (हाँ/ नहीं) :— .....
14. आवेदक किस प्रकार की निःशक्तता से बाधित है  
(श्रवण / दृष्टि / अस्थि / अन्य)  
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें) :— .....
15. स्थायी निवास का पता :— .....

पिन कोड .....

16. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :—

पिन्ड कोड .....

17. शैक्षणिक योग्यता (स्व सत्यापित प्रति संलग्न करें) :—

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/स्कूल/संस्था का नाम स्कूल का नाम व पता	परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

18. अर्हकारी परीक्षा में पूर्णांक/प्राप्तांक के जगह ग्रेड पद्धति से अगर मूल्यांकन किया गया है जिस संस्था/स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है उनके प्रमुख से उक्त ग्रेड को पूर्णांक, प्राप्तांक एवं प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे जिस पर चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

19. चयन के पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी को बुलाया जा सकेगा जिस पर चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

20. क्या आप शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में वर्तमान में सेवारत है (हाँ/नहीं)

अ— धारित पद का नाम :—

ब— कार्य की अवधि:— दिनांक ..... से ..... तक कुल अवधि ..... वर्ष .....

स— नियोक्ता/कार्यालय का नाम पता :—

21. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि हां तो विवरण देंवे .....  
.....
22. क्या आप विवाहित हैं हां/नहीं .....  
यदि हां तो विवाह की तिथि अंकित करें .....  
.....
23. जीवित संतानों की कुल संख्या .....  
.....
24. ऐसे संतान की संख्या, जिनका जन्म 26.01.2001 .....  
को या उसके पश्चात हुआ हो। .....  
.....
- (दो से अधिक जीवित संतान होने की स्थिति में पात्रता संबंधी शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें)
25. क्या आवेदक/आवेदिका के विरुद्ध कोई दायिडक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय से अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है? हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। .....  
.....
26. आवेदित पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यापित दस्तावेजों का विवरण :—
- |          |          |
|----------|----------|
| 1. ....  | 2. ....  |
| 3. ....  | 4. ....  |
| 5. ....  | 6. ....  |
| 7. ....  | 8. ....  |
| 9. ....  | 10. .... |
| 11. .... | 12. .... |

आवेदक के हस्ताक्षर

### घोषणा पत्र

मैं ..... आत्मज / आत्मजा / पति श्री .....

द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम विश्वास और ज्ञान के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, चयन के पूर्व या उसके बाद गलत अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जायेगी। यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा तथ्य छुपाये जाने अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करने की स्थिति में या नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की अपात्रता का प्रमाण मिलने पर मेरा चयन / नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियुक्ति संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :— .....

नाम :— .....

स्थान :— .....

मोबाइल नं. :— .....